मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

दिनांक – 22.04.2017

प्रेस – समाचार

मेरा शहर

राज्यसेवा परीक्षा 2015 : मेरिट की महिला आरक्षण में समायोजित कर दिया

टॉपर महिला को देना थी सामान्य सीट लेकिन आरक्षित कोटे में दे दिया पद

आयोग द्वारा जारी चयन परिणाम के संबध में कतिपय समाचार पत्र द्वारा राज्य सेवा परीक्षा–2015 के चयन परिणाम में महिला आवेदकों के आरक्षण के संबंध में की गई टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में म0प्र0 शासन के शासनादेश की प्रतियां जो कि सर्वसाधारण को वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु आयोग की बेवसाईट पर प्रकाशित की जाती है –

शासनादेश पत्र कमांक –1

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

आवक दिनांक 3 SEP 1998
आवक क्रमांक 161

क्रमांक 384/एफ 850/1/3/98 भोपाल, दिनांक 25/8/98

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
इंदौर (म.प्र.)

विषय :–राज्य शासन की सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट दिये जाने बाबत् ।

संदर्भ :–आपका पत्र क्रमांक 17510/24/85/अनु.6, दिनांक 30.5.1997

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र में उल्लेखित बिन्दु पर इस विभाग से अपेक्षित परामर्श यह है कि महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत आरक्षण का अर्थ यही है कि जो भी महिलायें चयनित हों उनको 30 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध गिना जायेगा ।

भवदीय,
(के0एल0दीक्षित)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

शासनादेश पत्र कमांक –2

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

कमांक 111/1817/2006/आ0प्र0/एक भोपाल, दिनांक 29/1/2007

प्रति,

सचिव,
लोक सेवा आयोग,
इन्दौर।

विषय:–लोक सेवाओं एवं शासन के रिक्त पदों में निःशक्तजनों के लिये आरक्षण/छूट के संबंध में जारी किये गये निर्देश एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों के संदर्भ में उदभूत हुई समस्या पर मार्गदर्शन देने संबंधी।

संदर्भ:–आपका पत्र कमांक 1977/54/99/स्था. दिनांक 21 दिसम्बर, 2006.

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें जिसके तारतम्य में यह सूचित करने के निर्देश हुए है कि होरिजेण्टल आरक्षण में उन उम्मीदवारों की भी गणना की जाती है जो योग्यता के आधार पर चयनित हुए है। यदि प्रवर्गवार सामान्य चयनित सूची में निःशक्तजन/महिलाएं/भूतपूर्व सैनिक (जिनके लिये होरिजेण्टल आरक्षण है) शामिल न हो तो आरक्षण का लाभ देते हुए "सामान्य कट आफ मार्क्स" के नीचे से चयन करते हुए निर्धारित आरक्षित पदों की पूर्ति की जानी चाहिए किन्तु प्रवर्गवार सामानय सूची में निर्धारित आरक्षित पदों की संख्या से अधिक विकलांग उम्मीदवार सामान्य (गैर विकलांग) उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त करते है तो उनकी योग्यता, कमानुसार सामान्य चयन सूची में चयन किया जा सकता है, उन्हें इस आधार पर चयन से वंचित नहीं किया जा सकता है कि संबंधित श्रेणी का आरक्षित पद रिक्त नहीं है।

2/ लोक सेवा आयोग के पत्र के पैरा –2 में उल्लेखित इस विभाग के ज्ञापन दिनांक 25 फरवरी, 1976 में दिये गये प्रावधान यथावत है, जिसका ध्यान रखा जाना चाहिये।

3/ जहां तक गृह (पुलिस) जेल, वन आदि विभागों के पद जिनमें शारीरिक स्वास्थ्यता के मापदण्ड निर्धारित है, के चयन का प्रश्न है, भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा कार्य के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन किया गया है, जिसके अधिसूचना की प्रति राज्य शासन के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा समस्त विभागों को उपलब्ध करायी है। इसके अलावा उक्त अधिसूचना में जिन पदों का उल्लेख नहीं है ऐसे पदों को चिन्हांकित करने या जिन पदों के लिये निःशक्त व्यक्ति उपयुक्त नहीं है उन पदों के लिये सामाजिक न्याय

–2–

विभाग के माध्यम से (गठित समिति द्वारा) छूट प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार की कार्यवाही संबंधित विभाग को कर, अपने विज्ञापन में ही स्पष्ट करना चाहिये कि कौन सा पद किस प्रकार के निःशक्तजनों के लिये आरक्षित है।

(आर0के0 गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

उप सचिव